न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 42/2020

आशाराम मीणा पुत्र श्री जंसी लाल मीणा निवारी ग्रम जालिमगंज पोस्ट नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **26-11-2020**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 22-9-2020 को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी 1-ग्राम जालिमगंज ग्रम पंचायत रामसागर तहसील देवली जिला टोंक राज. में जिन लोगों की मौत हो चुकी हैं, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य संपन्न लोगों को व उनके परिवार वालों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन, अनुग्रह राशि, बी.पी.एल. सूची में नाम, का लाभ किस नियम के तहत दिया जा रहा हैं। अगर यह नियम विरूद्व है तो इस पर कार्यवाही की जाए और वर्षों से इनको लाभ पहुंचाने वाले कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी कृपया स्पष्ट करें।

अपीलार्थी को उक्त वर्णित आवेदित सूचना समयावधि समाप्त हो जोने के उपरान्त भी उपलब्ध न करवाये जाने पर यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्व प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रत्यर्थी से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में जवाब भिजवाने हेतु न्यायालय के पत्र कमांक 841 दिनांक 18-11-2020 से जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा पत्र कमांक 2720 दिनांक 24-11-2020 से जवाब प्रेषित किया है कि ऑन लाईन पोर्टल प्रकियाधीन है प्रार्थी का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अगर प्रार्थी कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसको सूचना तुरन्त उपलब्ध करवा दी जावेगी। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जबकि अपीलार्थी उक्त अधिनियम के तहत आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही जा रही सूचना,उक्त अधिनियम के तहत दी जाने वाली सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:03:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner